छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017-2018

बेमेतरा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
2017-18

मंत्री	-	माननीय श्री रामसेवक पैकरा
संसदीय सचिव	-	माननीय श्री लाभचंद बाफना

मंत्रालय

सचिव	-	श्रीमती शहला निगार
उप सचिव	-	श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा
	-	श्री पी.डी. पुरबिया
अवर सचिव	-	श्री आर.पी. पाण्डेय
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	-	श्री कैलाश मढ़रिया

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	-	श्री टी. जी. कोसरिया

आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों के लिए चौकी बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना

जलशोधन संयंत्र

इंटेक वेल

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ कमांक
1.	भाग–1 विभागीय संरचना	1–11
2.	भाग–2 बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	12–13
3.	भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	14–39
4.	भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय	40–42
5.	भाग–5 विभागीय प्रकाशन	43
6.	भाग–6 सारांश	44–47

नवागढ़ बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना

कैस्केड एरीयेटर

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचना

विभागीय मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैं:–

(अ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय रायपुर

कार्यक्षेत्र– रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 10 जिलें कमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम।

(ब) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिलासपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय बिलासपुर

कार्यक्षेत्र – बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 10 जिलें कमशः बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया।

(स) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर परिक्षेत्र – मुख्यालय जगदलपुर

कार्यक्षेत्र – बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिलें कमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठ का प्रभारी है, जिनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचनाः

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा जगदलपुर एवं कोण्डागांव में मण्डल कार्यालय कार्यरत् है। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय है। जिनके कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता हैं।

प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और बिलासपुर में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के कुल 31 खंड कार्यालय, कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय, कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता सिविल, पदस्थ होते है।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विद्युत/यांत्रिकी संकाय के खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं।

वर्ष 2017 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग से चयनित सूची में से 33 सहायक अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिसमें से 25 सहायक अभियंता, सिविल संकाय के एवं 08 सहायक अभियंता, वि/यां संकाय के हैं।

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उपअभियंता सिविल की सूची में से 46 उप अभियंतओं के नियुक्ति पत्र जारी किये गये।

वर्तमान विभागीय संरचना निम्नानुसार है:–

विभागीय संरचना

विभागीय मंत्री
विभागीय संसदीय सचिव

सचिव

प्रमुख अभियंता

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर

(1) खण्ड रायपुर
उपखंड रायपुर
भूजल संवर्धन उपखंड
रायपुर
(2) खण्ड धमतरी
उपखंड धमतरी
उपखंड कुरूद
उपखंड नगरी
(3) खण्ड महासमुंद
उपखंड महासमुंद
उपखंड सरायपाली
(4) खण्ड बलौदाबाजार
उपखंड भाटापारा
उपखंड बलौदाबाजार
उपखंड कसडोल
(5) खण्ड गरियाबंद
उपखंड गरियाबंद
उपखंड राजिम
उपखंड देवभोग
(6) परि.खण्ड रायपुर
परि. उपखंड
क. 1 रायपुर.
परि. उपखंड
क. 2 रायपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग

(1) खण्ड दुर्ग
उपखंड दुर्ग
उपखंड पाटन
(2) खण्ड बालोद
उपखंड बालोद
उपखंड गुंडरदेही
उपखंड डौंडी
(3) खण्ड बेमेतरा
उपखंड बेमेतरा
उपखंड साजा
(4) खण्ड राजनांदगांव
उपखंड राजनांदगांव
उपखंड चौकी
उपखंड डोंगरगढ़
उपखंड खैरागढ़
उपखंड छुईखदान
उपखंड मोहला
वि. संधा. उपखण्ड,
राजनांदगांव
(5) खण्ड कबीरधाम
उपखंड कवर्धा
उपखंड पंडरिया
उपखंड बोडला
(6) परि.खण्ड बेमेतरा
परि. उपखंड क.1 बेमेतरा
परि. उपखंड क.2 बेमेतरा
परि. उपखंड क.3 बेमेतरा

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर

1) खण्ड बिलासपुर
उपखंड बिलासपुर
उपखंड गौरेला
उपखंड तखतपुर
(2) खण्ड मुंगेली
उपखंड मुंगेली
उपखंड पथरिया
(3) खण्ड कोरबा
उपखंड कोरबा
उपखंड कटघोरा
(4) खण्ड
जांजगीर–चांपा
उपखंड चांपा
उपखंड सक्ती
उपखंड डभरा
उपखंड अकलतरा
(5) खण्ड रायगढ़
उपखंड रायगढ़
उपखंड खरसिया
उपखंड सारंगढ़
उपखंड घरघोड़ा
उपखंड धरमजयगढ़
(6) परि.खण्ड
बिलासपुर
उपखंड क. 1 बिलासपुर
उपखंड क. 2 बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर

(1) खण्ड अंबिकापुर
उपखंड अम्बिकापुर
उपखंड सीतापुर
(2) खण्ड बलरामपुर
उपखंड बलरामपुर
उपखंड कुसमी
उपखंड रामानुजगंज
उपखंड वाड्रफनगर
(3) खण्ड सूरजपुर
उपखंड सूरजपुर
उपखंड प्रतापपुर
उपखंड ओड़गी
(4) खण्ड जशपुर
उपखंड जशपुर
उपखंड कुनकुरी
उपखंड पत्थलगांव
उपखंड कांसाबेल
(5) खण्ड कोरिया
उपखंड बैकुंठपुर
उपखंड मनेन्द्रगढ़
उपखंड चिरमिरी
उपखंड जनकपुर

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर

(1) खण्ड जगदलपुर
उपखंड क.1 जगदलपुर
(मुख्यालय बस्तर)
उपखंड क.2 जगदलपुर
उपखंड तोकापाल
भू.सं.उपखंड जगदलपुर
संधा.उपखंड जगदलपुर
(2) खण्ड दंतेवाडा
उपखंड दंतेवाड़ा
उपखंड क.2 दंतेवाड़ा
(3) खण्ड सुकमा
उपखंड सुकमा
उपखंड कोंटा
(4) खण्ड बीजापुर
उपखंड बीजापुर
उपखंड भोपालपटनम
(5) परि.खण्ड जगदलपुर
परि.उपखण्ड क 3 जगदलपुर
परि.उपखण्ड क 4 जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव

(1) खण्ड कोण्डागांव
उपखंड कोंडागांव
उपखंड केशकाल
(2) खण्ड कांकेर
उपखंड कांकेर
उपखंड भानुप्रतापपुर
उपखंड अंतागढ़
(3) खण्ड नारायणपुर
उपखण्ड नारायणपुर

अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर

(1) वि/यां खण्ड रायपुर
वि/यां उपखंड रायपुर
वि/यां उपखंड गरियाबंद
वि/यां उपखंड बलौदाबाजार
वि/यां उपखंड धमतरी
वि/यां उपखंड महासमुंद
(2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव
वि/यां उपखंड दुर्ग
वि/यां उपखंड बालोद
वि/यां उपखंड बेमेतरा
वि/यां उपखंड राजनांदगांव
वि/यां उपखंड कवर्धा
(3) वि/यां खण्ड बिलासपुर
वि/यां खण्ड बिलासपुर
वि/यां खण्ड मुंगेली
वि/यां उपखंड चांपा
वि/यां उपखंड कोरबा
वि/यां उपखंड रायगढ़
(4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड अम्बिकापुर
वि/यां उपखंड सूरजपुर
वि/यां उपखंड बलरामपुर
वि/यां उपखंड कोरिया
वि/यां उपखंड जशपुर
(5) वि/यां खण्ड जगदलपुर
वि/यां खण्ड जगदलपुर
वि/यां खण्ड कोण्डागांव
वि/यां उपखंड दंतेवाडा
वि/यां उपखंड सुकमा
वि/यां उपखंड कांकेर
वि/यां उपखंड बीजापुर
वि/यां उपखंड नारायणपुर

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्गः

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्रमुख अभियंता	01
2.	मुख्य अभियंता (वि/यां)	01
3.	मुख्य अभियंता (सिविल)	04
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12
5.	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	01
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	36
7.	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	06
8.	कार्यपालन अभियंता (एम.आई.एस.)	01
9.	संयुक्त संचालक (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	01

राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्गः

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलाजिस्ट) (प्रतिनियुक्ति)	03
2.	हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
3.	सहायक भू–जलविद्	01
4.	सहायक अभियंता (सिविल)	130
5.	सहायक अभियंता (वि/यां)	33
6.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	04
8.	मुख्य रसायनज्ञ	01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप–अभियंता (सिविल)	406
2	उप–अभियंता (वि./यां.)	130
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलाजिस्ट)	02
4	फोरमेन	01
5	रिग ऑपरेटर	05
6	सहायक रिग ऑपरेटर	05
7	ड्रिलर	10
8	मुख्य मानचित्रकार	01
9	मानचित्रकार	48
10	सहायक मानचित्रकार	47
11	अनुरेखक	102

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
12	मुख्यालय अधीक्षक	01
13	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
15	सहायक ग्रेड–1 (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10
16	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07
17	वरिष्ठ निज सहायक	01
18	निज सहायक	04
19	शीघ्रलेखक	13
20	लेखापाल	04
21	सहायक ग्रेड–2	15
22	सहायक ग्रेड–3	30
23	स्टेनोटायपिस्ट	42

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
24	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03
25	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	47
26	केमिस्ट	28
27	सहायक केमिस्ट	01
28	वाहन चालक	13

अराजपत्रित राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
29	सुपरवाईजर	01
30	दफ्तरी	04
31	भृत्य	28
32	चौकीदार	01

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक ग्रेड–2	201
2	सहायक ग्रेड–3	274
3	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति से)	36

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	प्रयोगशाला सहायक	29
5	हैण्डपंप तकनीशियन	876
6	इलेक्ट्रिशियन	01
7	फिटर	02
8	शिफ्ट ड्राईवर	01
9	टर्नर	02
10	वेल्डर	01

11	ट्रक चालक	28
12	वाहन चालक	94
13	चालक सह सहायक	18
14	एयर कम्प्रेशर चालक	03
15	मैकेनिक (वि./यां.)	13

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय चतुर्थ (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
16	दफ्तरी	29
17	भृत्य	263
18	हेल्पर	16
19	लाईनमेन	02
20	क्लीनर	13
21	चौकीदार (नियमित)	102

1.4 विभाग का दायित्व:

प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम नलजल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का संचालन एवं संधारण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यो का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, एवं शासकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।

1.5 सामान्य जानकारी

प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबाद ग्राम 19,716 हैं, इनमें कुल 74,685 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 101 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में 67 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं

पेयजल कार्यक्रम :–

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत शासकीय ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

- भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, द्वारा ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन करते हुये अप्रैल 2009 से **"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"** लागू किया गया है जिसे वर्ष 2013 में पुनरीक्षित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(अ) मूलभूत सिद्धान्त :–

- जल सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है एवं प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल मांगने का अधिकार है।
- जन सामान्य की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना शासन का मुख्य दायित्व है।
- समाज के असहाय एवं वंचित श्रेणी के लोगों के लिए पेयजल की आवश्यकता को पूर्ण करना सर्वोच्च वरीयता/प्राथमिकता है।

(ब) दृष्टि (Vision):-

- ग्रामीण भारत में सब को हर समय सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता हो।

(स) उद्देश्य :-

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में उचित दूरी पर स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता एवं उपयोग।
- समुदाय के द्वारा पेयजल स्रोतों का अनुश्रवण एवं निगरानी।
- समुदाय आधारित पेयजल योजना के रूपांकन में पीने–योग्य, विश्वसनीय, निरंतरता, सुविधाजनक, समानता एवं उपभोक्ता की मांग, दिशा–निर्देशक बिन्दु होंगे।
- खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में नलजल प्रदाय योजनाओं से पेयजल की उपलब्धता।
- समस्त ग्रामीण शासकीय शालाओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को अपने पेयजल स्रोतो एवं तंत्र को स्वयं संचालन के लिए आवश्यक सहायता एवं माहौल उपलब्ध कराना।

(द) लक्ष्य :-

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2011 से 2022 तक की समय–सीमा निर्धारित करना।

वर्ष 2022 तक:-

- 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईप लाईन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमें से कम से कम 80 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 10 प्रतिशत से कम।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों एवं योजनाओं का संधारण।

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत कियान्वित किये जाने वाले कार्यों में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों की भागीदारी है। विभाग इन नीति निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु प्रयासरत् है।

1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2017 की स्थिति में) :

(1)	ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011)	:	19,716
(2)	बसाहटें	:	74,685
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,71,200

(4) शालाओं में पेयजल व्यवस्था :–

पेयजल व्यवस्था पूर्ण शालाओं की संख्या	:	50,622

(5) आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :–

पेयजल व्यवस्था पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	:	27,264

(6) ग्रामीण नल जलप्रदाय योजनाएं :–

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	3,627
पूर्ण योजनाएं	:	3,262
प्रगतिरत् योजनाएं	:	365

(7) स्थल जल प्रदाय योजनाएं:–

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,882
पूर्ण योजनाएं	:	2,877
प्रगतिरत् योजनाएं	:	05

(8) पेयजल गुणवत्ता :–

	01.04.2017 की स्थिति में गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की संख्या	:	1,181
1.	आयरन प्रभावित बसाहटें	:	743
2.	फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें	:	406
3.	खारा पानी बसाहटें	:	02
4.	आर्सेनिक प्रभावित बसाहटें	:	20
5.	नाईट्रेट प्रभावित बसाहटें	:	10
	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराये गये बसाहटों की संख्या (दिसंबर, 2017 की स्थिति में)	:	11

(9) सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटेड पंप स्थापना कार्य :

1.	कुल स्वीकृत कार्य	:	6,570
2.	पूर्ण कार्य	:	4,152
(अ)	**एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत**		
3.	कुल स्वीकृत कार्य	:	1,444
4.	पूर्ण कार्य	:	1,444
(ब)	**आई.ए.पी. जिलों में एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत**		
1.	कुल स्वीकृत कार्य	:	2,014
2.	प्रथम चरण में प्राप्त राशि अनुसार पूर्ण किये गये कार्य	:	1,111
(स)	**एम.एन.आर.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत**		
1.	कुल स्वीकृत	:	465
2.	पूर्ण कार्य	:	90
(द)	**नाबार्ड ऋण सहायता स्वीकृत अंतर्गत**		
1.	कुल स्वीकृत	:	2,647
2.	पूर्ण कार्य	:	1,507

(10) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :–

नगरीय निकायों की संख्या	:	168
नगर पालिक निगम	:	13
नगर पालिका परिषद्	:	43
नगर पंचायत	:	112
कियान्वित योजनाएं	:	101
प्रगतिरत् योजनाएं	:	67

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

(राशि लाख रू. में)

क्र	कार्य का विवरण	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	नलकूप खनन कार्य (राज्य मद)	7645.00	7517.91	4180.00	4143.85	4472.60	2341.78
2	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	1360.00	1355.42	1360.00	1326.22	1000.00	618.49
3	भूजल संवर्धन कार्य	202.50	1.07	203.00	0.00	124.00	0.00
4	पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय (राज्य मद)	5720.00	5231.71	2925.00	2352.66	3663.24	1983.86
	नाबार्ड पोषित पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय	17125.00	11216.52	16724.50	8965.20	8500.00	4150.00
	सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना	-	-	8817.33	8590.76	9657.76	5451.37
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राज्यांश)	8559.00	4921.25	6400.00	5553.00	8393.00	4662.06
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश)						
	1. कार्यक्रम मद	8668.00	5785.43	9600.00	5955.04	10661.75	3471.50
	2. सपोर्ट मद	200.28	141.34	297.83	218.30	211.80	170.27
	3. जल गुणवत्ता मद (WQM&S)	241.41	141.53	257.04	223.13	89.45	48.44
7	अन्य केन्द्रीय मद (M & I) Cell का गठन	53.20	21.57	66.45	19.89	42.00	14.16
8	जलनिकासी योजना (राज्य मद)	100.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

क्र	कार्य का विवरण	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
9	संचालन एवं संधारण (आयोजना)	940.50	854.88	940.50	919.20	7439.30	3528.04
10	संचालन एवं संधारण (आयोजनेत्तर)	4597.58	3792.72	6004.27	4595.72	-	-
11	मशीनरी एवं उपकरण	809.00	94.39	635.00	542.68	345.00	20.41
12	शहरीय/नगरीय जल प्रदाय योजना (राज्य मद)	13941.10	13301.83	11796.17	10682.46	12500.00	10620.15
13	अन्य (राज्य मद)	22338.22	15919.01	28963.91	21511.62	33349.50	22392.01

हाथी विस्थापित क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था ग्राम कन्दराजा विकासखण्ड मैनपाट, जिला सरगुजा

भाग - तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है । इसके अंतर्गत ग्रामीण पेयजल प्रदाय के वे कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं, का कियान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है ।

राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल प्रदाय :–

(अ) हैण्डपम्प योजनाएं : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों एवं शासकीय शालाओं में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का कियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल	असफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	5,700	3,357	2,914	443
2.	शालाओं में नलकूप खनन	1,195	921	777	144
3.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	252	119	92	27

हैण्डपंप पेयजल योजना ग्राम खरखरा विकासखण्ड गरियाबंद, जिला गरियाबंद

(ब) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से घरेलू कनेक्शन द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

नलजल प्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त मझौले ग्राम अथवा ऐसे ग्राम जहाँ पेयजल स्रोत का जलस्तर नीचे हो अथवा निर्मित जल स्रोत पीने योग्य न हो, वहाँ दूर स्थित स्रोत से पाईप लाईन द्वारा ग्राम/बसाहट में निवासरत् जनसमुदाय/परिवार/व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जाता रहा है ।

वर्ष 2013–14 से राज्य में स्थलजल प्रदाय योजना का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा लिये निर्णय अनुसार पूर्व से कियान्वित समस्त स्थल जल प्रदाय योजनाओं को टंकी युक्त नलजल योजना में परिवर्तित किया जा रहा है।

(स) बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना:

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित बहुल ग्राम जल योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं।

1. विभागीय बजट से कियान्वित बहुल ग्राम जल प्रदाय योजनाएं:-

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
1	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	54	6297.30	15.02.2013	परीक्षण बतौर जलप्रदाय चालू
2	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	57	6322.03	18.02.2013	परीक्षण बतौर जलप्रदाय चालू

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
3	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Salinity Affected)	41	3825.00	15.02.2013	जलप्रदाय चालू
4	राजनांदगांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (Arsenic Affected)	20	3384.966	16.03.2016	जलप्रदाय चालू
5	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68	15.02.2013	75 प्रतिशत पूर्ण
6	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	कोसारटेडा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना (फ्लोराईड प्रभावित)	29	4976.00	18.02.2013	जलप्रदाय चालू
7	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	9	1835.36	18.03.2016	75 प्रतिशत पूर्ण
8	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	11	1417.06	09.02.2016	40 प्रतिशत पूर्ण
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	39 प्रतिशत पूर्ण
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	47 प्रतिशत पूर्ण
11	बीजापुर	भोपालपट्नम	भोपालपट्नम रालापल्ली की बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	निविदा प्रक्रियाधीन
12	सूरजपुर	सूरजपुर	हर्राटिकरा बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	निविदा प्रक्रियाधीन
			कुल	312	38945.666		

पोड़ी बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना निर्माण कार्य क्लेरीफ्लाक्यूलेटर (Clarifloculator)

एन.एम.डी.सी. के निक्षेप मद के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में 08 ग्रामों की नेरली बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना लागत रु. 1,522.00 लाख एवं 17 ग्रामों की धुरली बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना लागत रु. 4,238.00 लाख की एन.एम.डी.सी. द्वारा दिये गये वित्तीय सहयोग से योजना का कार्य प्रगति पर है।

2. एन.एम.डी.सी. के सहयोग से कियान्वित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाः–

(दिसंबर 2017 की स्थिति में)

क्र.	जिला	विकासखंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना की अद्यतन स्थिति
1	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	नेरली बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	8	1,522.00	40% पूर्ण
2	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	धुरली बहुल ग्राम जलप्रदाय योजना	17	4,238.00	25% पूर्ण

धुरली बहुल जलप्रदाय योजना जलशोधन संयंत्र क्षमता 3 एम.एल.डी. निर्माण कार्य

(द) संचालन एवं संधारण :

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं (हैंडपंप, नलजल प्रदाय एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं) के संचालन एवं संधारण कार्यक्रम हेतु कुल प्रावधानित वार्षिक निधि का अधिकतम 15 प्रतिशत राशि निर्धारित थी।

वर्ष 2017–18 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम मद से इस कार्य हेतु राशि प्रदान नहीं की जा रही है। वर्तमान में संचालन एवं संधारण कार्य में होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ओस्मेसिस) के संधारण

कार्य किये जाते है। इसी कम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कमशः रू. 15,000.00 एवं रू. 5,000.00 के वार्षिक अनुदान ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

(य) निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी):

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोत एवं योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने हेतु भूजल संवर्धन, वर्षा जल संचयन/संग्रहण, भू–जल स्रोत इत्यादि कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अंतर्गत कुल वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम) निर्धारित थी। जिसमें भारत सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य शासन का 40 प्रतिशत निर्धारित था।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से इस कार्य हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अंतर्गत राशि प्रदान नहीं की जा रही है। अतः इस कार्यकम के अंतर्गत प्रावधानित कार्य राज्य मद से किया जावेगा।

3.1.2 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं कियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में कियान्वित की जाती है। संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

आरंग आवर्धन जलप्रदाय योजना, जिला रायपुर उच्चस्तरीय जलागार क्षमता 870 कि.ली., स्टेजिंग 19 मीटर

अ. प्रगतिरत् योजनाएं:-

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
1	रायपुर	अभनपुर	गोबरा नवापारा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1951.40	19.05.2016
2	रायपुर	धरसींवा	कुरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1083.87	25.08.2015
3	रायपुर	अभनपुर	अभनपुर नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	2630.65	04.05.2016
4	रायपुर	आरंग	आरंग नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1690.22	10.03.2015
5	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	माना केम्प आवर्धन जलप्रदाय योजना	941.66	17.04.2017
6	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1932.88	23.08.2017
7	धमतरी	कुरूद	कुरूद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1728.34	25.03.2015
8	धमतरी	कुरूद	भखारा–भठेली की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1061.00	14.05.2015
9	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96	26.03.2016
10	महासमुन्द	बागबाहरा	बागबाहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1306.75	11.02.2013
11	महासमुंद	महासमुंद	तुमगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	930.02	22.03.2016
12	गरियाबंद	बिंद्रानवागढ़	गरियाबंद नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1163.84	08.09.2016
13	गरियाबंद	राजिम	राजिम नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	729.99	04.12.2015
14	बलौदाबाजार –भाटापारा	बिलाईगढ़	भटगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	973.90	14.02.2013
15	बलौदाबाजार –भाटापारा	कसडोल	लवन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1087.02	14.02.2013
16	बलौदाबाजार –भाटापारा	बिलाईगढ़	टुण्डरा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	634.39	14.02.2013
17	बलौदाबाजार –भाटापारा	भाटापारा	सिमगा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1561.74	10.03.2015
18	बलौदाबाजार –भाटापारा	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3052.81	21.04.2015
19	बलौदाबाजार –भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
20	बलौदाबाजार –भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1065.24	30.03.2017
21	दुर्ग	अहिवारा	जामुल नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	2346.30	03.02.2017
22	दुर्ग	अहिवारा	अहिवारा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1571.51	03.02.2017
23	दुर्ग	पाटन	पाटन नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1524.00	15.09.2015
24	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016
25	बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1655.00	12.03.2012
26	बेमेतरा	नवागढ़	नवागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	594.54	11.03.2015
27	कबीरधाम	पंडरिया	पांडातराई नगर की जलप्रदाय योजना	294.13	31.03.2015
28	राजनांदगांव	डोगरगढ़	डोंगरगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1529.64	31.03.2015
29	बालोद	बालोद	बालोद नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1884.00	14.02.2013
30	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016
31	बिलासपुर	मरवाही	गौरेला नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1142.26	29.04.2013
32	मुंगेली	मुंगेली	मुंगेली नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	656.48	08.01.2015
33	मुंगेली	बिल्हा	सरगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	293.05	04.02.2015
34	मुंगेली	बिल्हा	पथरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	187.00	28.10.2017
35	रायगढ़	खरसिया	किरोड़ीमल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	387.64	13.02.2013
36	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3014.97	12.03.2013
37	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	856.87	12.02.2013
38	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर आवर्धन जलप्रदाय योजना	689.92	04.06.2016

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
39	रायगढ़	रायगढ़	सरिया नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	237.50	05.03.2015
40	रायगढ़	सरंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1333.04	31.03.2017
41	जांजगीर–चांपा	चांपा	चांपा नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1590.00	20.08.2015
42	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	चंद्रपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	217.68	12.03.2012
43	जांजगीर–चांपा	पामगढ़	राहौद नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	233.12	12.02.2013
44	जांजगीर–चांपा	सक्ती	सारागांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	212.02	19.10.2011
45	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	बलौदा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	544.04	31.03.2015
46	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015
47	जांजगीर–चांपा	चन्द्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.88	30.03.2017
48	बलरामपुर	रामानुजगंज	बलरामपुर नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	806.85	05.05.2012
49	बलरामपुर	सामरी	राजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	548.08	13.03.2012
50	बलरामपुर	प्रतापपुर	वाड्रफनगर आवर्धन जलप्रदाय योजना	969.96	31.03.2017
51	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़ नगर की पुनरीक्षित आवर्धन जल प्रदाय योजना	1715.46	28.08.2015
52	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चिरमिरी नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3448.75	29.04.2013
53	सूरजपुर	प्रेमनगर	सूरजपुर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2352.40	25.03.2015
54	सूरजपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	385.05	10.03.2015
55	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28	14.02.2013
56	कोरबा	पाली–तनाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	794.16	31.03.2017
57	कोरबा	मटघोरा	छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1089.55	31.03.2017

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक
58	जशपुर	जशपुर	बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना	977.56	31.03.2017
59	जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना	801.37	31.03.2017
60	बस्तर	बस्तर	बस्तर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	949.49	14.02.2013
61	कोण्डागांव	केशकाल	केशकाल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	649.90	14.02.2013
62	कोण्डागांव	केशकाल	फरसगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	653.41	14.02.2013
63	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46	30.05.2012
64	कांकेर	अंतागढ़	अंतागढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	413.56	10.03.2015
65	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बारसूर आवर्धन जलप्रदाय योजना	1012.57	04.05.2016
66	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	किरंदुल नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	616.59	08.03.2010
67	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	1370.38	17.08.2017

3.2 **केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं:** केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना का विवरण निम्ननुसार है:–

3.2.1 **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:** ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन किया जाकर पूर्व संचालित **"गतिवर्धित ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम"** के स्थान पर **"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम"** प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष घटक–वार कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित कार्ययोजना पर प्राप्त आबंटन अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण कर कियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 नवबंर 2017 से जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कियान्वयन मुख्यतः दो मदों में कियान्वित किया जा रहा है, विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) कव्हरेज मद :– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 90 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में

पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 निर्धारित है।

(ब) सपोर्ट मदः- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मदः- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, फील्डटेस्ट किट का क्रय, जलपरीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2017–18 में रू. 171.71 करोड़ की कार्ययोजना भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गयी है ।

पूर्व वर्षों के प्रगतिरत् कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार नये कार्य लिये गये हैं :–

1 प्रगतिरत कार्यः-

1.1	नलकूप खनन	–	16 नग
1.2	नलजल प्रदाय योजना	–	321 नग
1.3	सस्टेनबिलिटी कार्य	–	31 नग
1.4	अन्य कार्य	–	117 नग

2. नवीन कार्य :-

2.1	फ्लोराइड आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	–	29 नग
2.2	खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना	–	259 नग

"सांसद आदर्श ग्राम योजना" के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामों की नल जल प्रदाय योजनाओं के कार्य भी कव्हरेज मद अंतर्गत संपादित किये जा रहे है। चयनित ग्रामों में नलजल प्रदाय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत चयनित ग्रामों की नल जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

1. माननीय सांसद, लोकसभा द्वारा अनुशंसित योजनाएं :–

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा स्वी क्र./दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
1	रायपुर	धरसींवा	धरसींवा	रायपुर	गिरौद	40.55	389/ 12.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
2	धमतरी	कुरूद	कुरुद	महासमुंद	चर्रा	23.82	391/ 12.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
3	राजनांदगांव	मोहला	मोहला मानपुर	राजनांदगांव	गोटा टोला (मुख्य बस्ती)	35.14	392/ 15.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					गोटा टोला (शांतिनगर)	41.97	393/ 15.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					गोटा टोला (डोंगरीटोला)	13.92	34/18.01.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					गोटा टोला (साल्हेटोला)	19.50	35/ 19.01.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
4	दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	दुर्ग	मचांदुर	65.24	एफ 5-112/2016/34-2/627, दिनांक 24.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
5	बस्तर	बस्तर	नारायणपुर	बस्तर	चपका	44.78	04/ 06.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
6	कांकेर	कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	कांकेर	छोटी कापसी	-	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत।	पाइप लाइन का कार्य पूर्ण। टंकी 75 प्रतिशत पूर्ण।
7	कोरबा	कोरबा	रामपुर	कोरबा	तिलकेजा	28.07	390/ 16.02.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
8	मुंगेली	पथरिया	मुंगेली	बिलासपुर	हथनीकला	19.93	18/ 31.03.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
9	जांजगीर–चांपा	बलौदा	अकलतरा	जांजगीर–चांपा	जावलपुर	68.77	एफ 5-125/2016/34-2/1625, दिनांक 20.05.2016	टंकी पाईप लाईन का कार्य पूर्ण। जल प्रदाय प्रारंभ
10	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा	रायगढ़	मुस्कुटी	9.40	08/ 30.03.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					भकुर्रा	39.07	03/ 26.04.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					गहिरा	14.34	01/ 07.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
11	सरगुजा	अंबिकापुर	लुण्ड्रा	सरगुजा	करम्हा	97.79	एफ 5-113/2016/34-2/1222, दिनांक 30.03.2016	योजना के समस्त कार्य पूर्ण। टेस्टिंग कार्य चालू।

2. माननीय सांसद, राज्यसभा द्वारा अनुशंसित योजनाएं :–

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विधानसभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दि	योजना की अद्यतन स्थिति
1	जशपुर	फरसाबहार	कुनकुरी	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	जोरंद झरिया	73.10	एफ 5-119/2016/34-2/978, दिनांक 14.03.2016	पाईप लाईन का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण। टंकी का कार्य 20 प्रतिशत पूर्ण। सोलर पंप के कार्य प्रगति पर है।

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विधानसभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा क्षेत्र नाम	चयनित ग्राम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख में)	प्रशा. स्वी. क्र./दि	योजना की अद्यतन स्थिति
2	जशपुर	कासाबेल	पत्थलगांव	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	बटईकेला	78.08	एफ 5-126/2016/34-2/1623, दिनांक 20.05.2016	पाईप लाईन एवं टंकी के कार्य पूर्ण। सोलर पंप कार्य प्रगति पर।
3	बलौदा बाजार	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	पुरगांव	32.51	19/02.07.2016	पाईप लाईन कार्य पूर्ण। पंप लग चुका है। योजना के 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
4	दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	मोहलई	-	पूर्व से योजना क्रियान्वित है।	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
5	गरियाबंद	मैनपुर	बिन्द्रानवागढ़	माननीय सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंसित	कुल्हाड़ीघाट	48.14	23.03.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					कठवा	7.66	01/30.04.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					बेसराझर	13.11	02/07.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					गवरमुंड	10.63	03/07.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					देवडोंगर	15.31	04/07.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ
					तारझर	12.32	05/07.05.2016	कार्य पूर्ण जल प्रदाय प्रारंभ

(ब) सपोर्ट मद

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं को गति प्रदान करने एवं सॉफ्टवेयर गतिविधियों जैसे सूचना, शिक्षा, संचार, क्षमता वृद्धि आदि में सहायता के उददेश्य से सहायक कार्यों का प्रावधान किया गया है। इनके अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, जल परीक्षण, प्रयोगशाला स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, प्रशिक्षण, सेमिनार के साथ–साथ संचार एवं क्षमता विकास के कार्य एवं मैनेजमेन्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) आदि के कार्य संपादित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक गतिविधियों के लिए रू. 1242.42 लाख तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के लिए रू 971.37 लाख इस प्रकार दोनों गतिविधियों के लिए कुल रू. 2213.79 लाख

की कार्य योजना अनुमोदित है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सहायक गतिविधियाँ : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं –

01. **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :**

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियां।

02. **सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों का बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

03. **मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियाँ :**

उपखण्ड स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यूपीएस आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियॉं, समस्या निदान पद्धति एवं उपग्रह छाया चित्रों पर आधारित मैप की सहायता से स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं पेयजल स्रोतों के आंकड़ों के संकलन का कार्य। राज्य तकनीकी अभिकरण। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

04. **स्थापना व्यय :–**

छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) में नियोजित अमले की स्थापना एवं सहायक सामग्रियों पर व्यय तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर हेतु मानव संसाधन एवं सहायक सामाग्रियों की व्यवस्था का प्रस्ताव। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक गतिविधियों में अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर समुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, जागरूकता एवं उनकी सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त सुरक्षित जल प्रदाय के लिए नलजल योजनाओं के माध्यम से घरेलू नल कनेक्शन द्वारा जलप्रदाय को प्राथमिकता दी जानी है ।

ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के उपयोग के लिए प्रेरित एवं उपयोग सुनिश्चित किये जाने पर प्रत्येक निजी घरेलू कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन–कर्ता यथा, आशा कार्यकर्ता (मितानिन) इत्यादि को सपोर्ट मद से प्रोत्साहन राशि रू. 75.00 दिये जाने का प्रावधान है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत की जाने वाली जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के कार्य हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ प्रस्तावित हैं –

प्रदेश में स्थापित पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट एवं पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल परीक्षण का कार्य। 01 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं 18 प्रयोगशालाओं का उन्नयन का कार्य। नये फील्ड टेस्ट किट प्रदाय के साथ पूर्व प्रदायित फील्ड टेस्ट किट के लिए आवश्यक रिफिल प्रदाय एवं ग्राम स्तर पर जल परीक्षण हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण का कार्य। जीआईएस मैपिंग के लिये स्रोत परीक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के लिए रू. 971.37 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित है, के अंतर्गत लक्षित विवरण निम्नानुसार हैं:–

1.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण	–	36,951
2.	फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण	–	3,22,864
3.	प्रयोगशाला में जल परीक्षण	–	90,680
4.	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना	–	1
5.	स्थापित प्रयोग शालाओं का उन्नयन	–	18
6.	नयी फील्ड टेस्ट किट का वितरण	–	5,812
7.	पूर्व वितरित फील्ड टेस्ट किट के लिए रसायन का वितरण	–	6,785

3.2.2 एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत आई.ए.पी. जिलों में सोलर पंप स्थापना का कार्य :–

अति उग्रवाद से प्रभावित जिलों के बसाहटों में सोलर पंप आधारित नलजल प्रदाय योजना कियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उच्च जलक्षमता वाले बोरवेल में सोलर ऊर्जा संचालित सबमर्सिबल पंप, 3 मीटर की उंचाई पर स्थित एचडीपीई/स्टेनलेस स्टील टंकी एवं पाईप लाईन के द्वारा ग्रामीण घरों/आवासों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय कराय जाना है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस योजनांतर्गत बोरवेल में स्थापित हैण्डपंप यथावत कार्यरत् रहता है। योजना की वित्तीय व्यवस्था नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से 40 प्रतिशत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रांश) से 30 प्रतिशत एवं राज्यांश से 30 प्रतिशत के अनुपात में की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आई.ए.पी. जिलों (पूर्व के 18 जिलों में से) के 1722 बसाहटें इस योजनांतर्गत चिन्हित की गई हैं। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 960 बसाहटों में सोलर पंप स्थापना का कार्य किया गया था। उक्त उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सराहना की गयी।

भारत सरकार द्वारा उपलब्धि को देखते हुए द्वितीय चरण हेतु राशि रू. 2065.22 लाख जारी किये गये है जिसके अंतर्गत 1054 सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग पंपों की स्थापना के कार्य प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 150 नग सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय

वर्ष 2017–18 में 904 सोलर पंप स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक राशि जारी की गयी हैं जिसका कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत 1111 बसाहटों में सोलर आधारित ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

एन.सी.ई.एफ. के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना ग्राम मुधी विकासखण्ड बगीचा, जिला जशपुर

3.2.3 एम.एन.आर.ई. के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना का कार्य :–

भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से छ.ग. राज्य हेतु 2000 ग्रामीण बसाहटों में सोलर ड्यूअल पंप की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है। 2000 सोलर पंप के स्थापना हेतु एम.एन.आर.ई. मद से रू. 0.432 लाख प्रति डी.सी. पंप हेतु कुल रू. 864.00 लाख की राशि छत्तीसगढ़ केडा को प्राप्त हो चुकी थी। भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.03.2017 द्वारा Funding Pattern 50:50 (केन्द्रांश 50: राज्यांश 50) निर्धारित है। तदानुसार राशि रू. 2080.00 लाख (केन्दांश राशि रू. 1040.00 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 1040.00 लाख) उपलब्ध कराते हुए 17 जिलों के लिए 465 नग सोलर पंप की स्थापना हेतु राशि जारी कर दी गयी है। माह दिसंबर 2017 तक 90 सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

3.2.4 नीति आयोग से प्राप्त निधि :-

भारत सरकार, नीति आयोग (ग्रामीण विकास खंड) नई दिल्ली द्वारा आर्सेनिक एवं फ्लोराईड से प्रभावित राज्यों में पेयजल व्यवस्था हेतु राशि रू. 105.00 लाख का आबंटन राज्य को प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत 15 नग फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। स्थापित किये गये फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	जिला	विकासखंड	ग्राम का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	रायपुर	अभनपुर	उमरकोटी	पूर्ण
2		आरंग	छटेरा	पूर्ण
3		आरंग	भलेरा	पूर्ण
4		तिल्दा	रजिया	पूर्ण
5		धरसींवा	कपसदा	पूर्ण
6	महासमुंद	बागबाहरा	हरनादादर	पूर्ण
7		बागबाहरा	रोदा	पूर्ण
8		बागबाहरा	खल्लारी	पूर्ण
9		बागबाहरा	धरमापुर	पूर्ण
10		बागबाहरा	तमोरा (साल्हेभाटा)	पूर्ण
11		बागबाहरा	तमोरा (स्कूलपारा)	पूर्ण
12		बागबाहरा	तमोरा (तमोरीपारा)	पूर्ण
13		बागबाहरा	बिरजपानी	पूर्ण
14		बागबाहरा	परसदा-खट्टी	पूर्ण
15	बालोद	डौण्डी	कटरेल	पूर्ण

3.2.4 राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशनः–

राज्य की फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त, 2016 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किया गया है। ग्रामों/बसाहटों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	विकास खंड	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	बसाहट की जनसंख्या	प्रभावित बसाहट की जनसंख्या
1.	बागबाहरा	चरोदा	चरोदा	चरोदा	1187	556
2.	बागबाहरा	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द	1205	309
3.	बागबाहरा	मामा भांचा	डोंगरीपाली	डोंगरीपाली	709	199
4.	बागबाहरा	मोहदी	मोहदी	टिकरापारा	96	96
5.	बसना	चनाट	चनाट	चनाट	879	76
6.	महासमुंद	नांदगांव	नांदगांव	पटेलबाहरा	315	315
7.	महासमुंद	नवागांव	झिलमिला	झिलमिला	145	145
8.	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	जीवतरा	566	308
9.	महासमुंद	परसदा खट्टी	जीवतरा	कमारपारा	258	258
10.	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	आदिवासीपारा	268	268
11.	महासमुंद	तोरला	सलिहाभाठा	सलिहाभाठा	394	394
12.	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरला	601	601
13.	महासमुंद	तोरला	तोरला	तोरलापड़ाव	78	78
14.	सरायपाली	भीखापाली	कोकड़ी	कोकड़ी	324	324
15.	सरायपाली	दर्राभाटा	दर्राभाटा	दर्राभाटा	539	539

3.2.5 छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) :-भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र कमांक डब्लू–11037/51/2002–टी.एम.–IV (पी.टी–) दिनांक 16.06.2003 के साथ प्रेषित मार्गदर्शिका अनुसार "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)" का गठन छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ज्ञापन कमांक 1761/एफ–8–1/03/34–2/03 दिनांक 21.08.2003 के द्वारा किया गया था । "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)" का पंजियन मध्यप्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का कमांक 44) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2003 को किया गया, जिसका पंजीयन कमांक छ0ग0राज्य–430/2003, है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा दिनांक 01.04.2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम (NRDWP) लागू किया गया, जिसके तारतम्य में ज्ञापन कमांक 11042/72/2009– water दिनांक 24 अगस्त 2010 के द्वारा NRDWP के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन की स्थापना हेतु 01 संचालक, 04 सलाहकार, 01 लेखापाल एवं 01 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश कमांक एफ 9–7/2010/34–2/02 दिनांक 30.04.2011 द्वारा स्वीकृत किए गए। इस प्रकार राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO), राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पंजीकृत समिति) के अंतर्गत एक संस्था है जो कि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन पंजीकृत समिति के अधीन, अध्यक्ष राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (कार्यकारिणी समिति) सह सचिव, छ.ग.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नियंत्रण में कार्यरत् है। इस संगठन की स्थापना माह अक्टूबर 2011 में संचालक एवं सलाहकारों की पदस्थापना के साथ हुई। पुनः राज्य शासन के आदेश क01977/F-9-22/2011 दिनांक 26/11/11 के अनुसार WSSO के कार्यालय के लिए 01 स्टेनोग्राफर, 02 भृत्य, 03 वाहन चालक एवं 03 सुरक्षा गार्ड के पदों की स्वीकृति प्रदान किया गया।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 1 अप्रेल 2009 से लागू राष्ट्रीय पेयजल कार्यकम (NRDWP) की मार्गदर्शिका (Guideline) के पैरा 10 एवं 12.4 परिशिष्ट VII पैरा 4 एवं भारत सरकार के पत्र कमांक w-11042/72/2009-water दिनांक 24.08.2010 द्वारा जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की स्थापना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO) का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश कमांक 2291/एफ–9–22/2011/34–2/02 दिनांक 22.12.2011 द्वारा WSSO की कार्यप्रणाली उत्तरदायित्व आदि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा निर्देशों को अमल में लाते हुए WSSO को संचालित किया जा रहा है।

संगठन द्वारा किये गये कार्य :-

वर्ष 2017–18 में छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO) द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य संपादित किए गए :–

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत् किए गए कार्यों पर भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के दिनांक 8/3/17 के दिशा–निर्देशानुसार ''नीर'' शीर्षक पत्रिका प्रचार–प्रसार मद अंतर्गत् ,छ.ग. संवाद से ,प्रकाशित कराकर विश्व जल दिवस दिनांक 22/3/17 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली, में आयोजित कार्यशाला में वितरण किया गया। इसका वितरण जिलों में भी प्रचार–प्रसार हेतु किया गया।
2. सपोर्ट कार्यों के अंतर्गत् IEC/HRD, M&E, STA तथा R&D गतिविधियों को कियान्वित करने प्रस्ताव प्रेषित किए गए। प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग तथा सदस्य सचिव SWSM (executive committee) के मार्गदर्शन पर उपलब्ध कराई गई धनराशि अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए कार्य संपन्न किए गए।
3. छ.ग. राज्य में विगत 13 वर्षों के पेयजल प्रदाय, जल संवर्धन, इसरो के साथ उच्च तकनीक एवं अंतरिक्ष प्रौघोगिकी के मैदानी उपयोग, जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में हुए कार्यों, सौर ऊर्जा ड्यूअल, पंपों के द्वारा टंकियों स जल प्रदाय, घरेलू नल कनेक्शनों, बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाओं इत्यादि विभागीय कार्यों पर एक सारगर्भित आलेख ग्राफिक्स एवं रंगीन छायाचित्रों सहित छ.ग. संवाद के माध्यम से ''कॉफी टेबल पुस्तिका–नीर'' का प्रकाशन कराकर दिनांक 19.7.16 को माननीय श्री रामसेवक पैकरा जी, मंत्री, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां.विभाग एवं माननीय श्री लाभचंद बाफना जी, संसदीय सचिव, छ.ग. शासन, लो. स्वा. यां. विभाग के करकमलों से पुस्तिका का विमोचन कराया गया। पुस्तिका का जिलों/मंडलों/परिक्षेत्रों में वितरण कर विभागीय योजनाओं एवं विभाग की उपलब्धियों से जनसामान्य को अवगत कराने प्रचार–प्रचार हेतु प्रेषण किया गया।
4. भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा माननीय प्रधानमंत्रीजी के अव्हान "स्वच्छ संकल्प से स्वच्छता सिद्धी" कार्यक्रम अंतर्गत् 2229 लघु फिल्मों (2–3 मिनट की) एवं 9533 लघु निबंधों का जिलों एवं राज्य पर संकलन किया गया एवं क्रमशः 1020 लघु फिल्मों एवं 2346 लघु निबंधों को भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रविष्ट कराया गया।

5. छ.ग. राज्य में विगत चौदह वर्षों मे पेयजल के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय विकास पर "शुद्व पेयजल" शीर्षक वृत्त–चित्र (Documetary Film), छ.ग. संवाद के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी पहाड़ी, वनाच्छादित एवं वामपंथ प्रभावित अति–संवेदनशील क्षेत्रों की लगभग 3000 कि.मी. यात्रा कर बनाई गई। इस वृत्त चित्र को दिनांक 2/11/17 को माननीय श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा सचिव, छ.ग. शासन, लो. स्वा. यां. विभाग की उपस्थिती में राज्योत्सव–2017 के विभागीय पंडाल नया रायपुर में विमोचित किया गया। फिल्म का प्रदर्शन सभी जिलों में राज्योत्सवों में करने तथा मेलों इत्यादि में प्रदशर्न एवं प्रचार–प्रसार किया गया

6. प्रचार–प्रसार की सामग्री जिलों को उपलब्ध कराकर विभिन्न जिलों में मेलों, राज्योत्सवों एवं अन्य आयोजनों में पेयजल के क्षेत्र में प्राप्त विभागीय उपलब्धियों, पेयजल की गुणवत्ता, दूषित पेयजल के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं उसकी रोकथाम जल संवर्धन, पेयजल स्त्रोत की सुरक्षा एवं साफ–सफाई इत्यादि विषयों पर जन–जागरूकता लाने एवं ग्रामीणों की क्षमता विकास करने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

7. जल संवर्धन एवं प्रबंधन पर प्रकाशित पुस्तिका "जरूरी है जल प्रबंधन" का जिलों में वितरण कर जल संवर्धन के कार्यक्रमों को वैज्ञानिक ढंग से करने प्रेरित किया गया।

8. Workshop on planning, survey, Investigation, Designing, Execution, Testing and commissioning of water waste, water/solid waste and sewerage projects related with PHED & key issued with Design Approval methodology & monitoring Thereof with National & International Projects-Technologycal Application and innovations with R&D-way Forward" विषय पर मिनी कांफ्रेस कर दिनांक 26.07.2017 को आयोजित विभिन्न राज्यों में पेयजल के क्षेत्र में हुए नई तकनीक के प्रयोग, परियोजना कियान्वयन, संचालन–संधारण एवं परिचालन के लिए PPP मॉडल की अभिनव व नवोन्मेषी कार्यों पर क्षमता विकास किया गया।

9. छ.ग. राज्य में इसरो की संस्था एन. आर. एस. ए.ए नागपुर /हैदराबाद की सहयोगी राज्य की छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (C-COST) के वैज्ञानिकों को सौंपे गये विभागीय कार्य पर संगठन द्वारा लगातार अनुश्रवण किया गया। इसमें राजनांदगांव जिले की 151 समस्याग्रस्त ग्रामों में स्रोत चिन्हांकन कार्य संपन्न हुआ। वर्तमान में बेमेतरा जिले के 782 तथा मुंगेली जिले के 151 समास्याग्रस्त ग्रामों के स्रोत चिन्हांकन के कार्य प्रगति पर हैं।

10. केन्द्रीय भू.जल बोर्ड, के रायपुर रीजन के संचालक से समन्वय कर छ.ग. राज्य के भूगर्भीय एक्वीफर मैपिंग के कार्य अंतर्गत अद्यतन में छ.ग. राज्य के 10,619 वर्ग कि0मी0 का कार्य संपन्न हो चुका है।

11. सपोर्ट मद के अंतर्गत् विभाग के 27 जिलों के जल गुणवत्ता के 18 पैरामीटर पर प्रदेश के 1,98,000 पेयजल स्रोतों के जल नमूने का प्रयोगशाला परीक्षण पूर्ण किया गया। वॉटर क्वालिटी पैरामीटर बेस्ड GIS मैप तैयार किया जा रहा है।

12. सपोर्ट मद की MIS गतिविधि अंतर्गत् 1,98,000 पेयजल स्रोतों की जियोटैगिंग का कार्य संपन्न कर, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली में वेबसाइट पर डालने प्रेषित किया गया है।

13. दिनांक 26.12.2017 को ग्राम बुडेरा/खरोरा जिला रायपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों के माध्यम से ग्राम में स्थित पेयजल के स्रोतों का एफ.टी.के. के माध्यम से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से ग्राम पंचायत की शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति अंतर्गत कार्यरत् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को नियमानुसार एफ.टी.के. के माध्यम से जल स्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण सतत् रूप से करने प्रेरित किया गया।

14. दिनांक 30.12.2017 को ग्राम सोमनी जिला राजनांदगांव में आयोजित तृतीय राज्य स्तरीय भारत स्काउट एवं गाइड की जम्बूरी में प्रत्येक जिले के कम से कम 10(पांच बालिकाएं–रेन्जर्स एवं पांच बालक–रोवर्स) लेते हुए, तीन जिलों का एक ग्रुप बनाकर राज्य के 27 जिलों के 9 ग्रुप एवं अंर्तराज्यीय ग्रुप (15 से अधिक राज्य यथा मध्यप्रदेश, उड़िसा, गुजरात, गोवा, मेघालय, आसाम आदि) जिसमें नेपाल, भूटान के स्काउट एवं गाइड के बच्चों को लेते हुए, कुल 500 बच्चों का ग्रुप बनाया गया। जम्बूरी में लगभग 24,000 बच्चे सम्मिलित हुए जिन्हें पेयजल की सुरक्षा, वर्षा जल संग्रहण व संवर्धन, जल के अपव्यय को रोकने, पेयजल स्रोत के आस–पास साफ–सफाई, एवं स्वच्छता बनाए रखने शपथ दिलाई गई।

प्रत्येक ग्रुप को जल की, विशेषकर, पेयजल की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण व संवर्धन, जल के अपव्यय को रोकने, पेयजल स्रोत के आस–पास साफ–सफाई, पेयजल क्षेत्र में राज्य में अब तक हुए कार्यो, जन–जागरूकता लाने, FTK के माध्यम से पेयजल स्रोत के गुणवत्ता परीक्षण, दूषित पेयजल से फैलने वाली बीमारियों खासकर फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की भू–गर्भीय जल में अधिकता तथा ऐसे दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों पर नागरिकों को सजग एवं जागरूक करने लो. स्वा. यां. विभाग द्वारा तैयार की गई "शुद्ध पेयजल" शीर्षक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इससे स्काउट एवं गाइड के बच्चों में न केवल जागरूकता आई, बल्कि इस जन स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर लोगों को प्रेरित करने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई।

इसके ठीक पश्चात् पेयजल से उपरोक्त संबंधित विषय पर सामूहिक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में आगे बच्चों को दस ग्रुप में बांटकर पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण पर लो.स्वा. यां. विभाग की रायपुर, बालौदाबाजार, दुर्ग एवं राजनांदगांव की प्रयोगशालाओं के रसायनज्ञों तथा प्रयोगशाला सहायकों के माध्यम से मैदानी जल गुणवत्ता परीक्षण पेटी (FTK) की सहायता से जल गुणवत्ता परीक्षण पर प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद सभी ग्रुप एक–एक कर अनुशासित व व्यवस्थित ढंग से कैम्प के पेयजल स्रोत की गुणवत्ता परीक्षण के लिए रवाना हुए। बच्चों द्वारा पेयजल स्रोत के जल में मौजूद विभिन्न तत्वों यथा पी. एच, कठोरता, क्लोराईड, फ्लोराईड, नाइट्रेट आदि का मापन FTK के माध्यम से करते हुए जल परीक्षण रिपोर्ट बनाई गई। इसके पश्चात प्रत्येक जिले के प्रशिक्षित स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा उनके जिलों में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के मार्गदर्शन में FTK के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण देकर कार्य करवाए जाने है।

3.2.6 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठ:-

भारत सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका 2013 यथा संशोधित अनुसार विभाग में पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन शासन द्वारा किया गया है। प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के अनुश्रवण का है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, कियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं योजनाओं के कियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तकनीकी एवं सामान्य विषयों पर विभाग के 100 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 48 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

विभाग के नव नियुक्त 31 सहायक अभियंताओं के लिए "आधारभूत" प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर में दिनांक 15.01.2018 से दिनांक 25.01.2018 तक आयोजित किया गया।

वर्ष –2017 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार है

दिनांक – 01.01.2017 से 31.12.2017 तक

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट और ई–कोष एवं बिल सबमिशन	09.01.2017 से 20.01.2017 13.11.2017 से 25.11.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02 03
2	वेतन निर्धारण अवकाश नियम एवं अवकाश का नगदीकरण।	24.07.2017 से 26.07.2017 16.08.2017 से 18.08.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02 02
3	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट	09.08.2017 से 11.08.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	01

क.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
4	छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा छ.ग. वर्गीकरण नियंत्रण, तथा अपील नियम 1966	29.05.2017 से 02.06.2017 06.11.2017 से 08.11.2017 20.11.2017 से 25.11.2017 18.09.2017 से 23.09.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02 02 02 02
5	सरकारी कर्मचारी की प्रेरणा और उनके व्यवहार कौशल में सुधार	06.11.2017 से 08.11.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	01
6	सूचना का अधिकार नियम 2005 का प्रभावी कियान्वयन	27.01.2017 से 28.01.2017 17.08.2017 से 18.08.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	05 03
7	Flood Risk Management Mitigation	03.08.2017 31.07.2017 से 04.08.2017 17.08.2017 से 18.08.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	01 01 01
8	पुर्नवास और कॉपरेट समाजिक जिम्मेदारी	21.08.2017 से 23.08.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
9	आंतरिक लेखा परीक्षण, अंकेक्षण उनका पालन प्रतिवेदन।	23.01.2017 से 25.01.2017 27.06.2017 से 29.06.2017 11.09.2017 से 13.09.2017 10.12.2017 से 12.12.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02 02 03 02
10	Ethics and value in public Governance	03.07.2017 से 05.07.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
11	ऑफिस प्रोसिजर एण्ड सर्विस रूल्स	03.07.2017 से 05.07.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
12	Store purchase rules & tender process.	28.08.2017 से 30.08.2017 26.12.2017 से 28.12.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03 02
13	Basic Course on Disaster management	18.09.2017 से 22.09.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	03
14	वित्तीय प्रबंधन	13.12.2017 से 15.12.2017	छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	02
15	Analysis & interpretation of Ground Water Quality Data.	11.09.2017 से 15.09.2017	NGWTRI रायपुर	02
16	सोलर आधारित पंपिंग सिस्टम	25.09.2017 से 28.09.2017	A.I.L.S.G. Bhopal M.P	03
17	Scientific source finding	18.12.17 से 22.12.17	गांधीनगर गुजरात	02
18	Computer aided design of water supply & sewer network	06.11.2017 से 15.11.2017	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वमेंट, नई दिल्ली	02
19	Water Treatment Plant & other related structure	05.12.17 से 11.12.17	V.N.I.T. Nagpur	02
20	Rain water harvesting & ground water recharage techniques in rural area	06.02.17 से 08.02.17	CGWB Raipur	02
21	अप्रेंटिश एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी., कम्पयुटर इंजी., आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री / डिप्लोमा एवं मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण	01.01.2017 से 31.12.2017 तक	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में	48
22	विभाग के नव नियुक्त सहायक अभियंताओं का "आधारभूत" प्रशिक्षण	दिनांक 15.01.2018 से 25.01.2018	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	31
			कुल	148

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नव नियुक्त सहायक अभियंताओ का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

(दिनांक – 15.01.2018 से 25.01.2018)

नव नियुक्त सहायक अभियंताओं का ''आधारभूत'' प्रशिक्षण के दौरान चौकी समूह जलप्रदाय योजना का भ्रमण

भाग - पांच

विभागीय प्रकाशन

अधिसूचना कमांक एफ 1–54 / 2016 / 34–1– के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के अंक कमांक 537 दिनांक 24 नवंबर 2017 को प्रकाशित करवाया गया।

नाबार्ड पोषित योजना अंतर्गत सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था ग्राम गोड़ी , विकासखण्ड धरसींवा, जिला रायपुर

भाग - छः

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं कियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीण जनों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उनके घरों में ही उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का अधिक से अधिक कियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

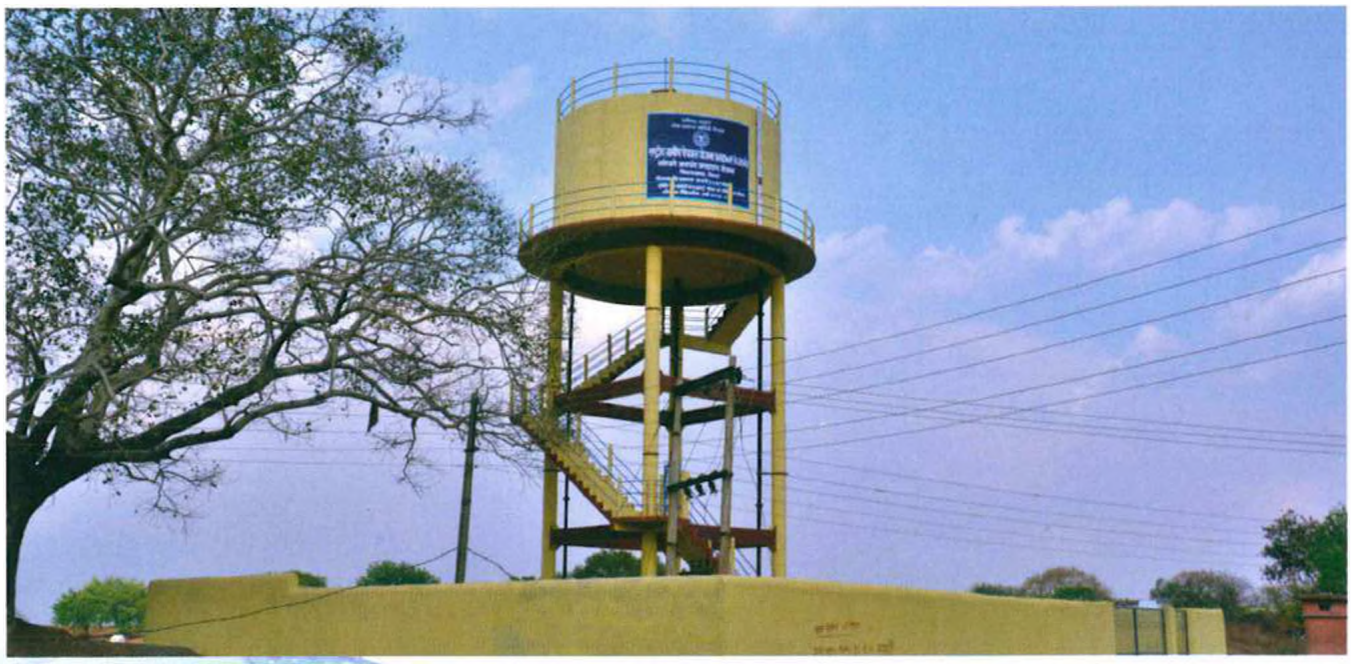

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित उच्चस्तरीय जलागार ग्राम गनियारी, विकासखण्ड तिल्दा जिला रायपुर

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही है। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के कियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं।

राज्य की फ्लोराईड से प्रभावित बसाहटों में दिनांक 18 अगस्त 2016 की स्थिति पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जलगुणवत्ता उप–मिशन के अंतर्गत जिला महासमुंद के 15 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में फ्लोराईड रिमूवल प्लांट लगाये जाने का कार्य किया जावेगा।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त 27 जिलों के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 18 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्रोत की डिजिटल GIS Maping के कार्य कीयोजना प्रगतिरत् है।

7.2 नगरीय पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं कियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पूर्व नगरीय क्षेत्रों में कियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित कियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं स्वीकृत एवं कियान्वित की जा रही है।

7.3 विविधः–

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल में गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित बहुल ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी भू–जल स्रोतों पर आधारित योजनाओं का मांग अनुसार सतही स्रोत पर आवर्धन किया जा रहा है। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन,

फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्रायोगिक रूप से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् हैं। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में SCADA तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रकिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम है।

पूर्व में जिला दुर्ग की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका था। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव की जिला स्तरीय जल प्रयोगशाला को भी एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र दिनांक 03 जनवरी, 2018 को प्राप्त हुआ हैं। राज्य की अन्य जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहा है।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50000 स्केल के हाइड्रोजियोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है।

विभागीय रिग मशीन द्वारा नलकूप खनन कार्य ग्राम पंचायत करदेगा विकासखण्ड दुलदुला, जिला जशपुर

- जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के ग्राम ठेलकाडीह के आसपास के 151 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (NRSA) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10000 स्केल पर हाइड्रोजियोलॉजिकल नक्शे तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है। जिला कबीरधाम, मुंगेली बेमेतरा एवं बलौदाबाजार हेतु नक्शे तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है। नक्शे का उपयोग कर नलकूप खनन के स्थल चयन एवं भू–जल पुनर्भरण के कार्य हेतु यथोचित स्थल का चयन किया जा सकेगा।

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टॉल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है।

'जल ही जीवन है'

जल भरण

- पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी।

  पानी की कमी से हालत है बुरी॥

- जल संरक्षण। धरती का रक्षण॥

  वृक्षों का रोपण, जल संकट का समापन।

- वृक्षारोपण कीजिये, जलवायु को बचाइए।

  परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें अपनाइए।।

- पानी बचाने की पहल।

  जल का उचित उपयोग कर लाना होगा बदलाव॥

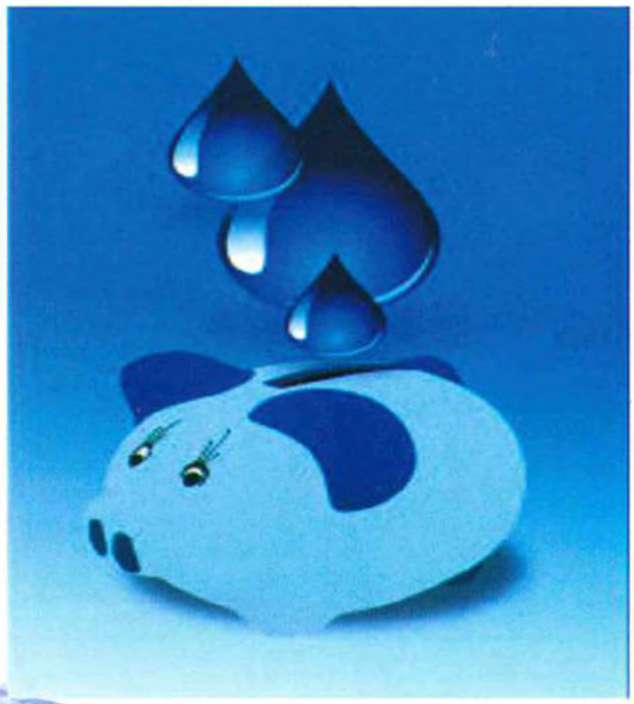

जल भरण

एन.ए.बी.एल. प्रमाणित जिला प्रयोगशाला जिला दुर्ग

छत्तीसगढ़ संवाद

ग्रामीण पेयजल शिकायत से संबंधित टॉल फ्री नम्बर - 18002330008